



बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

कमांक 5011 / अकादमी / संबद्धता / 2020

भोपाल, दिनांक 8-5-2020

अधिसूचना

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय जारी अधिसूचना कमांक 3978 दिनांक 4.03.2020 एवं अधिसूचना कमांक 4093/अकादमी दिनांक 18.03.2020 के द्वारा विश्वविद्यालय से संबद्ध समस्त महाविद्यालयों की सत्र 2020-2021 की स्थाई/अस्थाई संबद्धता/ नवीनीकरण /पूर्व से संचालित पाठ्यक्रमों की निरंतरता / हेतु तिथियां घोषित की गई थी।

वर्तमान में कोरोना संबंधी महामारी एवं लाकडाउन के कारण कतिपय महाविद्यालयों द्वारा आनलाईन आवेदन नहीं कर पाये हैं अतः विषम परिस्थितियों के अंतर्गत निर्देशानुसार आनलाईन आवेदन प्रस्तुत किये जाने की अंतिम तिथि निम्नानुसार की जाती हैं।

| क्र. | समस्त पाठ्यक्रम/संकाय/सामान्य/व्यावसायिक | निर्धारित अंतिम तिथियां |
|------|---|-------------------------|
| 1 | सामान्य पाठ्यक्रमों की सत्र 2020-21 में अस्थाई संबद्धता की निरंतरता, पूर्व से संचालित विषयों की अत्तरवर्ती कक्षाओं की अस्थाई संबद्धता हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि | 20-05-2020 |
| 2 | एन.सी.टी.ई. एवं बी.सी.आई द्वारा अनुमति प्राप्त पाठ्यक्रम | 10-05-2020 |
| 3 | ए.आई.सी.टी.ई. तथा चिकित्सा संकाय के समस्त पाठ्यक्रम | 14-05-2020 |

NOTE :-

- 1 महाविद्यालय MP-Online के माध्यम से आवेदन करने की अंतिम तिथि पश्चात, पांच दिवस के अन्दर संपूर्ण आवेदन पत्र (Part-A) मय संलग्नकों प्रस्तुत दस्तावेजों को तालिकानुसार फ्लेग के साथ प्राचार्य /संस्था के सचिव से अनिवार्य रूप से सत्यापित करवाकर महाविद्यालय की सील सहित विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करें।
2. नवीन आवेदित महाविद्यालयों को सूचित किया जाता है कि विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम में प्रवेश तभी दिया जावे जब कि महाविद्यालय विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त की हो। किसी भी महाविद्यालय के द्वारा विश्वविद्यालय की संबद्धता प्राप्त किये बगैर विद्यार्थियों को प्रवेश देता है तो इसकी संपूर्ण जबाबदारी संबंधित महाविद्यालय /संस्था की होगी। विश्वविद्यालय की कोई जबाबदारी नहीं होगी। ऐसे दोषी पाये गये महाविद्यालय के अन्य पाठ्यक्रमों की संबद्धता रद्द करने की कार्यवाही की जावेगी। आनलाईन आवेदन नहीं करने पर अस्थाई संबद्धता/स्थाई संबद्धता/नवीनीकरण/सीट संख्या में वृद्धि प्रकरण पर कार्यवाही नहीं की जावेगी। जिसकी संपूर्ण जबाबदारी संबंधित महाविद्यालय/संस्था की होगी।
3. महाविद्यालयों से प्राप्त किया जाने वाली शुल्क पूर्व बकाया शुल्क का विवरण लेखा www.bu.bhopal.ac.in पर प्रदर्शित किया गया है। शुल्क संबंधी पत्रों का महाविद्यालयों द्वारा प्रतिक्षा नहीं की जावे।
4. उच्च शिक्षा विभाग द्वारा पारम्परिक एवं विधि (लॉ) पाठ्यक्रमों के लिये जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र / निरंतरता आदेश के पश्चात 07 दिवस के अंदर संबंधित विश्वविद्यालय में निरंतरता / संबद्धता हेतु आवेदन करना अनिवार्य होगा।
5. मार्गदर्शिका सत्र 2020-21 का बिन्दु क्र. 3.2 के परन्तुक .5 के अनुसार सत्र 2020-21 से अब कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग द्वारा कमी पूर्ति हेतु पत्र जारी किये जाने का प्रावधान नहीं होगा।

पृ. क्र. 5012 / अकादमी / संबद्धता / 2020

भोपाल, दिनांक

कुलसचिव
8-5-2020

प्रतिलिपि :

- 1-बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल से संबद्ध समस्त शास. एवं अशा. महाविद्यालयों के प्राचार्य एवं डीन की ओर पालनार्थ।
- 1-राज्यपाल के अवर सचिव राजभवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
- 2 -अवर सचिव उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
- 3-आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
- 4-क्षेत्रिय संचालक राष्ट्रीय अध्यापक परिषद श्यामला हिल्स मानस भवन, भोपाल
- 5-संचालक तकनीकी शिक्षा सतपुड़ा भवन भोपाल
- 8- उपकुलसचिव परीक्षा/गोपनीय विभाग बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल
- 9- कुलपतिजी/कुलसचिवजी के निज सचिव के माध्यम से सूचनार्थ प्रेषित
- 10-वेबसाईट प्रभारी, उपरोक्त अधिसूचना को वेबसाईट पर अपलोड करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।
- 11- संबंधित नस्ती।

उप-कुलसचिव, अकादमी